कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीहोर (मध्यप्रदेश)
(स्थानीय निर्वाचन)

संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन,कक्ष क्र.26

फोन नं. 07562–227388 ई–मेल deosehorele@gmail.com

क्रमांक /354/ स्था.निर्वा. / 2020 सीहोर दिनांक 17/11 / 2020

/ /निविदा सूचना/ /

नगरीय निकाय / त्रि–स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2020–21 के लिये चुनाव कार्य में उपयोग की जाने वाली रबर सील तैयार करायी जाना है। अतः इच्छुक निर्माताओं / प्रदायकर्ताओं से निविदा आंमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म प्रपत्र एवं शर्ते रू 200 / – नगद भुगतान कर कार्यालीन समय में निविदा जारी होने के दिनांक से नवीन कलेक्ट्रेट स्थानीय निर्वाचन शाखा कक्ष 26 में शासकीय कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकेगी। उक्त निविदा निर्धारित तिथि और समय के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा निविदा के साथ रूपये 4000 / – (चार हजार रूपये मात्र) की प्रतिभूति जमा कराये बगेर निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा। यह राशि "कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन सीहोर" के नाम से जारी बैंक ड्राफ्ट की प्रति निविदा के साथ संलग्न करने पर ही निविदा मान्य होगी। निविदा दिनांक 03 / 12 / 2020 दोपहर 02:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी। प्राप्त निविदाएँ निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में दिनांक 03 / 12 / 2020 अपरान्ह 03:00 बजे समिति सदस्यो के समक्ष खोली जावेगी।

निविदा की शर्ते :–

1– निविदा सील बंद लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में " नगरीय / त्रि–स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2020–21 के लिए सीलों हेतु निविदा " लिखा जाना आवश्यक है।

2– निविदा बंद लिफाफे में प्रति सील / दर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3– निविदादाता को म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुसार रबर सील बनाकर प्रदाय करना होगी। सील की साईज 5X3 एक लाईन , दो लाईन,तीन लाईन,चार लाईन, पॉच लाईन, छः लाईन एवं सात लाईन, आठ लाईन, नौ लाईन एवं दस लाईन की पृथक–पृथक प्रति दर में पत्रक के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो कि समस्त करो सहित दर्शित करना अनिवार्य होगा। साथ ही भुगतान के समय शासन द्वारा निर्धारित समस्त प्रकार के करो की कटोती की जायेगी।

4– सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति की सूचना कार्यालय द्वारा दी जावेगी।

5– सामग्री प्रदाय करने का आदेश मिलने पर सफल निविदाकार को तत्काल सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य होगी इस कार्य हेतु इस कार्यालय द्वारा भाड़े आदि की कोई राशि अतिरिक्त रूप से भुगतान नही की जावेगी और ना ही लेबर चार्ज दिया जावेगा।

6– सफल निविदाकार यदि समय पर कार्य नही करते है, या बीच में कार्य छोडते है, तो उसके बाद वाले निविदादाता से Risk And Cost में कार्य कराया जायेगा तथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

7– यदि अनिवार्य आवश्यकता के तहत संक्षिप्त मात्रा में रबर सील की आवश्यकता होगी तो ऐसी सील प्रदाय आदेश प्राप्त होने की तीन घन्टे अन्दर प्रदाय करना होगी।

8– निविदाकार को दुकान स्थापना का पंजीयन एवं जीएसटी का स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जिसकी छायाप्रति संलग्न की जावें।

9– प्रदायकर्ता को पेनकार्ड की प्रति प्रस्तुत करना होगी।

10– प्रदायकर्ता साफ स्वच्छ छवि का होना चाहिए यदि पुलिस में पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज हुआ हो अथवा वर्तमान में कोई प्रकरण चल रहा है तो ऐसे प्रदायकर्ता की न्यूनतम दर होने के बाद भी दरे स्वीकृत नही की जावेगी। अर्थात् अपराधिक छवि वाले व्यक्ति से कोई सामग्री कय नही की जावेगी।

निरन्तर – 2

11– निविदाकार के आयकर का नियमानुसार कटोत्रा उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि से स्त्रोत पर ही काट लिया जावेगा।

12– कार्य उपरांत भुगतान उपलब्ध बजट आवंटन से किया जावेगा लेकिन अपरिहार्य कारणों से यदि देयकों के भुगतान मे विलंब होता है तो उसका कोई ब्याज देय नहीं होगा।

13– सामग्री की क्वालिटी खराब पायी जाने पर भुगतान नही किया जावेंगा।

14– निम्न दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को चयनित किया जाएगा।

15– प्रदाय आदेश जारी होने के तीन दिवस के अन्दर सामग्री प्रदाय करना होगी।

16– किसी भी प्रकार के विवाद में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सीहोर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। तथा इसके बारे में किसी भी न्यायालय में कोई वाद नही लाया जा सकेगा।

(अजय गुप्ता)
कलेक्टर
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला–सीहोर

सीहोर दिनांक 17 / 11 /2020

पृ. कमांक/355 /स्था.निर्वा./2020

प्रतिलिपि :–

1– सचिव म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल।

2– आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल।

3– आयुक्त जनसम्पर्क संचानालय बाणगंगा भोपाल की ओर उक्त निविदा दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ, कृपया उक्त निविदा प्रकाशित प्रतिं इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– कलेक्टर राजगढ,भोपाल, रायसेन, विदिशा की ओर सूचनार्थ।

5– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन हेतु।

6– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सीहोर की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना सीहोर जिले की बेबसाईट पर अपलॉड करने का कष्ट करें।

7– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला सीहोर को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ।

8– समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिला सीहोर को नोटिस बोर्ड प्रकाशन हेतु।

9– कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

10– उप संचालक जनसम्पर्क सीहोर की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निविदा जारी होने की निःशुल्क सूचना स्थानीय सामाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में यह भी उल्लेख करे कि विस्तृत निविदा सूचना निवाडी जिले शासकीय बेबसाईट पर उपलब्ध में है।

कलेक्टर
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला–सीहोर